कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कासगंज में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनॉक 14–10–2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95 / छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल / 2010 टी.सी.–अ लखनऊ दिनॉक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्क स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यकमों के प्रभावी कियान्चयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211 / 38–05–2010–20 स्वजल / 2010 (टी.सी.–अ) दिनॉक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल 'एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनॉक 14–10–2022 को आयोजित की गई। जिसमे निम्नलिखित सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. जिलाधिकारी, कासगंज	–	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज	–	उपाध्यक्ष
3. जिला विकास अधिकारी, कासगंज	–	सदस्य
4. प्रभागीय वनाधिकारी स्वंय अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	–	सदस्य
5. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कासगंज	–	सदस्य
6. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासगंज	–	सदस्य
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज	–	सदस्य
8. अधिशासी अभियन्ता, वॉटर रिसोर्स / सिचाई	–	सदस्य
9. जिला कृषि अधिकारी, कासगंज	–	सदस्य
10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, कासगंज	–	सदस्य
11. श्री राधा कृष्ण दीक्षित, कासगंज	–	नामित सदस्य
12. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 उ0प्र0 जल निगम कासगंज	–	सदस्य सचिव

ज़िलाधिकारी महोदय के द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यो की समीक्षा करते हुये मै0 आयॅन एक्सचेन्ज से उनकी पूर्व स्वीकृत योजना की डीपीआर प्रस्तुत करने एवं उसके विभिन्न घटको के सम्बन्ध मे सूचना मॉगी गई। जिसमे उनके द्वारा अगले कार्य दिवस मे प्रस्तुत करने की बात कही। जिलाधिकारी महोदय द्वारा ISA संस्था के कार्यो की प्रगति की समीक्षा की। तथा इस सम्बन्ध मे बैठक मे आये ISA संस्था के व्यक्ति द्वारा कोई प्रगति तथा कार्यो के सम्बन्ध मे सन्तोषजनक उत्तर न देने पर महोदया द्वारा उनके अनुबन्धो को निरस्त करने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी महोदया जनपद मे जल जीवन मिशन के कार्यो के निरीक्षण हेतु विभिन्न विभागो से जू0इं0 को नामित करने हेतु पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। जल जीवन मिशन के कार्यो को सम्पादित कराने हेतु प्राप्त निर्देश पुस्तिका को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), नि0ख0 उ0प्र0 जल निगम, कासगंज द्वारा अवगत कराया गया है, कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा जनपद कासगंज में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिये नई योजनाओं के कियान्वयन हेतु मै0 पी.एन.सी. इन्फ्राटेक प्रा0लि0 आगरा एवं रेट्रोफिटिंग योजनाओं के कियान्वयन हेतु मै0 आयॅन एक्सचेन्ज, अलीगढ को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" द्वारा मै0 पी.एन.सी. प्रा0लि0 आगरा की फर्म को 391 ग्राम पंचायतो की सूची एवं मै0 आयॅन एक्सचेन्ज, अलीगढ की फर्म को 09 नग ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म मै0 पी.एन.सी. द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये निर्देशों के अनुपालन में कुल 36 नग पे0यो0 की डी.पी.आर बैठक में प्रस्तुत की गई।

मै0 पी.एन.सी. द्वारा प्रस्तुत की गई 30 नग नई योजनाओं की डी.पी.आर. की लागत रू. 6000.00 प्रति व्यक्ति से कम पाई गई। जो कि नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 के पत्रांक 51 / 2021 / 1883 / छिहत्तर–1–2021–25सम / 2019 दिनॉक 06 अगस्त 2021 के बिन्दू सं0 01 के अनुसार स्वीकृत योग्य है।

डी.पी.आर. विरचन हेतु गाइड लाइन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Mathmatical एवं Graphical माडल्स के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।
2. नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर डिमान्ड पर किया जाये।
3. अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।
4. सामान्यतः सोलर आधारित योजनाऐं निम्रित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 लिया जाये।
5. वितरण प्रणाली में न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एम.एम. रखा जाये एवं 200 एम.एम. व्यास तक एच.डी.पी.ई. पाइप एवं 200 एम.एम. व्यास से अधिक हेतु डी.आई. पाइप का प्रयोग किया जाये।
6. वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।
7. वाटर डिमान्ड की गणना हेतु 55 LPCD + 15% unaccounted water को लिया जाये।
8. ग्राम के प्रत्येक घर को गृह पेयजल संयोजन दिया जाना है, एवं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर एक स्टैण्ड पोस्ट का प्राविधान किया जाये।
9. एक फायर हाइड्रेन्ट वाटर वर्क्स पर एवं एक फायर हाइड्रेन्ट प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिया जाये।
10. वाटर वर्क्स हेतु वाउन्ड्री वॉल की ऊँचाई 1.20 मी0 रखी जाये एवं 3.6 मी0 चौडाई का मैन गेट एवं 1.20 मी0 चौडाई का विकेट गेट रखा जाये।

फर्म द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. में ली गई कार्यों की दरें SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत दरों के आधार पर ली गई है। समस्त प्रस्तुत डी.पी.आर. की SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत की गई तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जॉच की गई। जॉच में पाई गई कमियों का निराकरण करते हुये, समस्त डी.पी.आर. जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत की गई। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

Sl No.	District	Block	Name of Scheme	Total No. of GP	Total no. of Rev. village	Total no. of Hab.	FHTC	Population detail		Estimated cost (Rs. In lac) (Centage + GST)	OHT (no.)	OHT capacity (kl)	D.S. (km.)
								Base Year 2022	Design year 2052				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kasganj	Patiyali	Nai Masiyar	1	2	4	362	1812	3151	222.76	1	125	7.80
2	Kasganj	Patiyali	Kakrala	1	1	1	797	3983	5597	363.7	1	250	10.93
3	Kasganj	Amanpur	Mindaul Bizurg	1	2	4	588	2939	4755	277.01	1	200	6.36
4	Kasganj	Sahawar	Nawabganj	1	1	7	765	3823	5141	369.03	1	225	17.55
5	Kasganj	Soron	Musawali	1	3	3	547	2736	4221	274.38	1	175	8.48
6	Kasganj	Sahawar	Nathupur	1	1	2	607	3035	3987	281.23	1	175	10.03
7	Kasganj	Amanpur	Rampur	1	1	3	528	2378	3849	270.2	1	150	8.86
8	Kasganj	Amanpur	Mahdawa	1	2	4	814	4068	5664	367.23	1	250	10.48
9	Kasganj	Amanpur	Kondra	1	3	5	459	2295	3697	249.98	1	150	12.68
10	Kasganj	Kasganj	Mohanpura	1	3	3	773	3863	6197	321.41	1	125	14.94
11	Kasganj	Kasganj	Bhamon	1	1	1	501	2255	3615	189.98	1	75	4.23
12	Kasganj	Kasganj	Beri	1	1	2	631	3153	4223	260.54	1	100	8.99
13	Kasganj	Kasganj	Kuramai	1	1	4	1039	5196	8303	357.08	1	175	12.04
14	Kasganj	Kasganj	Kanar Khera	1	1	3	572	2289	3640	193.46	1	75	6.87
15	Kasganj	Kasganj	Afjalpur	1	1	1	387	1547	2470	150.88	1	50	3.88
16	Kasganj	Kasganj	Rahmatpur Mafi	1	1	1	451	1804	2883	166.18	1	75	4.56
17	Kasganj	Kasganj	Bakner	1	1	1	444	1775	2825	176.69	1	75	10.30
18	Kasganj	Soron	Panchgai	1	1	14	2045	10227	14799	595.85	1	300	26.45
19	Kasganj	Amanpur	Naugaon	1	1	1	381	1524	2441	145.91	1	50	5.44
20	Kasganj	Amanpur	Basawanpur	1	2	2	429	1717	2764	191.69	1	50	6.03
21	Kasganj	Amanpur	Veerpur	1	1	1	426	1705	2722	163.58	1	50	3.32
22	Kasganj	Amanpur	Binpur Kalan	1	1	6	1091	5456	8744	401.18	1	175	17.59
23	Kasganj	Amanpur	Sikandrabad	1	1	4	344	1550	2480	166.44	1	50	7.48
24	Kasganj	Ganj Dundwara	Sanauri Khas	1	1	7	1404	9827	15071	492.10	1	300	24.06
25	Kasganj	Patiyali	Rai pur Prohit	1	1	3	271	1355	2168	154.78	1	50	6.07

Kasganj	Patiyali	Ramnagar	1	1	2	374	1495	2388	148.24	1	50	6.211
Kasganj	Sidhpura	Sirsaul	1	1	4	553	2767	3899	219.56	1	75	8.488
Kasganj	Sahawar	Amirsa	1	1	2	485	1938	3097	182.26	1	75	5.707
Kaganj	Sahawar	Khitauli	1	3	7	931	4656	7457	316.56	1	150	8.824
Kaganj	Amanpur	Nagla Kundan	1	2	3	346	1417	2263	159.96	1	50	6.186

अतः प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश सं0 1197/छियत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनॉक 21 मई 2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था मै0 पी.एन.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये 30 नग प्राक्कलनों को जिनकी लागत रू. 5.00 करोड से कम है, "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति द्वारा, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर अधिशासी निदेशक "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" लखनऊ को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 उ0प्र0 जल निगम
कासगंज
(सदस्य सचिव)

श्री राधा कृष्ण दीक्षित
कासगंज
(नामित सदस्य)

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

जिला कृषि अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिर्सोस/सिचाई
कासगंज
(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

जिला मुख्य चिकित्साधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
कासगंज
(सदस्य)

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कासगंज (सदस्य)

जिला विकास अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

मुख्य विकास अधिकारी
कासगंज
(उपाध्यक्ष)

जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति"
कासगंज